1

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

श्रीमती सुल्तानी देवी पत्नी प्राणनाथ वैसवार, उम्र 80 वर्ष, निवासी ग्राम–धरसड़ा, पो0 पतेरी, तहसील–चितरंगी, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

———आवेदिका / निगराकार

बनाम्

1. शासन म0प्र0, द्वारा– कलेक्टर – सिंगरौली.
2. रामाधार पिता कैरा धरकार,
3. प्रेमलाल पिता रामखेलावन वैसवार,
4. केसरी तनय भीषम धरकार

सभी निवासी ग्राम–धरसड़ा, तह0 चितरंगी, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

————गैर निगराकारगण / अनावेदक

निगरानी विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय कलेक्टर सिंगरौली प्रकरण क्र0 95 / निग. / 11–12 आदेश दिनांक 04.09.12.

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त – विवरण

यह कि अपीलार्थिया को आराजी नं0 137 / 2 रकवा 0.26 हे0, 139 / 2 रकवा 0.30 हे0, 160 / 2 रकवा 0.26 हे0, 300 रकवा 0.18 हे0 किता 4 कुल रकवा 1.00 हे0 स्थित ग्राम–धरसड़ा, नायब तहसीलदार चितरंगी द्वारा नामांतरण पंजी क्र0 8 वर्ष 2001–02 आदेश दिनांक 25.09.2002 सहायक बन्दोवस्त एलाटमेंट अधिकारी के प्रकरण क्र0 9 / अ–74 / 97–98 में पारित आदेश दिनांक 17.10.98 म0प्र0 शासन के बजाय अपीलार्थी के नाम पट्टा का इत्तिलयाबी आदेश

XXXIX(a)-BR(H)-11 (58)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–891-III / 13**

जिला–सिंगरौली

सुल्तानी देवी / शासन, रामाधार धरकार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 95 / निगरानी / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम. शर्मा), सदस्य	